<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 10/2018 (डूंगरपुर डिक्री)</u>

सोमा पिता बदा उर्फ बदीया भील (पारगी), निवासी धाणी उपली (वरदा), तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. शैलेन्द्र उर्फ बबु पिता केशरीमल जैन, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. प्रवीण पिता केशरीमल जैन, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्रीमती मधुदेवी बेवा स्वर्गीय पिता केशरीमल जैन, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. तहसीलदार (भूमिधारक), तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 19.07.2018 प्र.सं. 47/2007

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री ए. एस. गौरी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस. भटनागर अभिभाषक रे.सं. 1, 2

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 12–04–2021</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम उपली धाणी का निवासी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वरदा के निवासी होकर स्वर्गीय केशरीमल पिता पदमजी महाजन कोठारी के पुत्र एवं पत्नी हैं। वादी पदमजी पिता केशवदास जी के समय से प्रतिवादीगण के खाते की आराजियात कुल किता 8 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 2 में किया गया है। वादी के बदिया उक्त आराजियात के शिकमी काश्तकार रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी शिकमी [illegible] तक चला आ रहा है। उक्त आराजियात के हाल आराजी नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। संवत् 2003 से 2012 की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested

खतौनी में वादी के पिता की पुरानी काश्त अंकित है एवं आज भी वादी का ही कब्जा है, जिससे वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः वादी को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादी का नाम अंकित किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है एवं निवेदन किया कि खाता संख्या 225/224 खसरा नंबर 1569 से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19–07–2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसके खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री एस. भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि शिकमी काश्तकार के रूप में अपीलान्ट का कब्जा अपने पिता के समय से अर्थात करीब 100 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्टगण का नाम गलत दर्ज हो गया है। खसरा नंबर 1569 पर अपीलान्ट के पिता बदा का मकान संवत् 2012 से पूर्व का बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के विपरीत विवेचन किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं खसरा नंबर 1569 [illegible]बा [illegible] बिस्वा अपीलान्ट/वादी के नाम रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत विवेचन किया है एवं शिकमी काश्तकार की स्पष्ट व्याख्या करते हुए वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है, जो उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

सोमा पिता बदा उर्फ बदीया भील (पारगी), नि. धाणी उपली (वरदा), तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **शैलेन्द्र उर्फ बबु पिता केशरीमल जैन, निवासी वरदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**10/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **सागवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**07**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12.....**.....माह.....**04**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ए.एस. गौरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री एस. भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–07–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**04**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested